



मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष: 0141-2224878

ई-मेल rmisc.mnjy@gmail.com

एफ04 ( ) एमएनजेवाई/2013 / 2836

दिनांक 26.06.2013

समस्त अधीक्षक, मेडिकल कालेज,  
समस्त संयुक्त निदेशक (जोन),  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त आर.सी.एच.ओ.,  
समस्त इन्चार्ज, सीएचसी,  
राजस्थान।

**विषय:- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत ई.सी.जी., एक्स-रे एवं सेमी आटो एनालाइजर मशीन की अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था कराने बाबत।**

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के द्वितीय चरण में जेसा की विदित हैं की कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त उपकरणों की व्यवस्था में विलम्ब हो रहा है। अतः इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं।

1. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल एवं सैटेलाइट अस्पताल में उपलब्ध अतिरिक्त एक्स-रे, ई.सी.जी. व सेमी आटो एनालाइजर मशीन की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु व्यवस्था की जाये।
2. एम.एम.यू. / एम.एम.वी. में उपलब्ध एक्स-रे, ई.सी.जी. व लैब उपकरण का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
3. पोर्टेबल/मोबाइल एक्स-रे मशीन का उपयोग लिया जाये।
4. यदि सेमी आटो एनालाइजर उपलब्ध नहीं हो तो इसके स्थान पर इलेक्ट्रीक फोटो कलरीमीटर उपयोग में लिया जा सकता है।
5. अन्य उचित व्यवस्था सी.एच.सी. इन्चार्ज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क कर सुनिश्चित करे।

शासन सचिव एवं मिशन निदेशक  
(एनआरएचएम),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

कमांक: एफ04( )/एमएनजेवाई/13/

दिनांक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0 विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0 एवं मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम.
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. उप सचिव, मेडिकल (ग्रुप-1)।
6. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम निदेशालय जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, राजस्थान।
10. समस्त प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
11. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साइट पर अपलोड करावे एवं समस्त को ई-मेल करावे।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर